उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होंगे यूसीसी

सीएम धामी ने की समान नागरिक संहिता का वादा पूरा करने की योजना की घोषणा

देहरादून, 11 सितंबर. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नकल विरोधी कानून के अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी आदि कानून लागू होने के बाद आज उत्तराखंड की पहचान पूरे देश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाले अनुशासित राज्य के रूप में हो रही है.सीएम धामी ने कहा, 'महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने समान नागरिक संहिता इसका विधेयक भी हमारी विधानसभा में पारित कर दिया है. विधेयक पारित होने के साथ-साथ राष्ट्रपति महोदय की भी हमको मंजूरी मिल गई है. हमने एक समयसीमा तय की है कि 9 नवंबर 2024 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उस राज्य स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लिए, सभी पंथों के लिए, राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करने का जो विधेयक हमने पारित किया है, उसे हम लागू कर देंगे.'उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है. पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की है. धामी ने ये सारी बातें मंगलवार को न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) देहरादून में बार एसोसिएशन, देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करने के दौरान कही.

'भाजपा सरकार ने इस साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया. तब सीएम धामी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विधेयक का पारित होना उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था.समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है. इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे.

आज का इतिहास

1217 फ्रांसीसी सम्राट लुइस ने इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने शांति समझौता किया.
1398 तैमूरी राजवंश का शासक तैमूर लंग सिंधु नदी के तट पर पहुंचा.
1635 स्वीडन और पोलैंड ने संघर्ष विराम संधि पर हस्ताक्षर किये.
1786 लार्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ बने.
1873 पहले व्यवहारिक टाइपराइटर की बिक्री शुरू.

तूफान यागी के कारण 141 लोगों की मौत

हनोई. वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र में बुधवार सुबह तक तूफान यागी तथा उसके कारण हुए भूस्खलन और बाढ़ से 141 लोगों की मौत हो गई जबकि 59 लोग लापता हैं.

यह जानकारी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी. मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में से 29 काओ बांग प्रांत से, 45 लाओ चाए प्रांत से और 37 येन बाई प्रांत से हैं. वियतनाम समाचार एजेंसी के अनुसार, तुयेन क्वांग प्रांत के स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार रात पुष्टि की कि नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण क्वेट थांग कम्यून से गुजरने वाली लो नदी का बांध टूट गया है.

राष्ट्रीय जल-मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार हनोई में रेड नदी पर बाढ़ का स्तर तीन स्तरों में से चेतावनी स्तर 2 को पार कर लिया है और आज दोपहर इसके उच्चतम स्तर तक पहुंचने का अनुमान है.

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम **PRIYANSH** था, जो बाद में परिवर्तित होकर **PRIYANSH JAIN S/O RAJENDRA JAIN** हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

506, SCHEME NO. 114, PART-2, INDORE (M.P.)

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल

प्रियदर्शिनी भवन न्यू-मार्केट टी.टी. नगर भोपाल

क्रं./फेड/बैठक/ 609/2024 दिनांक :- 10/09/2024

" वार्षिक साधारण सभा की सूचना "

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. भोपाल की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2024 (शुक्रवार) को दोपहर 12:30 बजे संघ मुख्यालय ''प्रियदर्शिनी भवन'' में आयोजित की गई है। जिसकी सूचना समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को संघ के पत्र क्रमांक/फेड/बैठक/582-B/2024 भोपाल, दिनांक 29.08.2024 से प्रेषित कर दी गई है। इस सूचना के माध्यम से भी बैठक में समस्त सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

सम्पर्क सूत्र:- 0755-2778965

सही/-
प्रबंध संचालक

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

Phone No. 07280-234655 Email:- polyswd@gmail.com

क्रमांक/शापोमस/प्रवेश/09/2024/1562 सनावद, दि. 11.09.2024

अंतिम अवसर

विशेष- डिप्लोमा में प्रवेश के साथ NIOS के तहत 11वीं/12वीं उत्तीर्ण करने के विशेष अवसर

व ालज लवल व ाउ सिलिंग (CLC) हत सचना

केन्द्रीकृत काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार होगी।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन	संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने की स्थिति एवं समय
प्रथम राउंड की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों हेतु द्वितीय राऊंड के लिए रजिस्ट्रेशन दि. 11.09.2024 से 15.09. 2024 को रात्रि 11.30 तक कर सकते हैं	द्वितीय राउंड हेतु कालेज में काउंसलिंग दि.15.09.2024 को प्रात:10.30 **AM** से 1.00 **PM** तक आयोजित की जाएगी।

संस्था में संचालित संकाय

Civil Engineering, Computer Hardware and Maintenance, Computer Science, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Automobile Engineering

महत्वपूर्ण नोट:- 1. प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को एमपी आनलाईन पोर्टल https://dte.mponline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
2.प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि एवं दिनांक पर अपने अभिभावक के साथ स्वयं को उपस्थित होना अनिवार्य है।
3.प्रवेश से संबंधित संपूर्ण जानकारी https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

(सी.जी.प्रकोल्य)
प्राचार्य
शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, सनावद

सत्यमेव जयते
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार, अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत विदेशों में मास्टर्स और पीएचडी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए रिक्त स्लॉटों को भरने हेतु चयन वर्ष 2024-25 के दूसरे दौर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एनओएस पोर्टल खोल रहा है।

आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल दिनांक **01-09-2024** से **15-10-2024** तक खुला रहेगा।

पोर्टल का लिंक www.nosmsje.gov.in है।

फॉर्म भरने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फार्म भरने से पहले स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर लें।

अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें

cbc 38101/11/0013/2425

न्यायालयः - प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड कुक्षी जिला धार म.प्र.
// पीठासीन अधिकारी सुश्री अर्चना मर्सकोले //

आर.सी.एस. ए-40/2023
पेशी दिनांक 26.09.2024

उषाबाई पिता स्व. बुद्धिचंद पति स्व. सोहनलाल जाति छीपा, उम्र 60 वर्ष, धंधा कुछ नही, निवासी ग्राम गिरी तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राजस्थान) .....वादी

// विरुद्ध //

1. रेखा पति रमेशचंद्र भराड़िया जाति छीपा नामदेव, उम्र 37 वर्ष, धंधा टेलरिंग कार्य, निवासी ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार आदि 22. .....प्रतिवादीगण

प्रति,

2. गायत्रीबाई पति बुद्धिचंद पति रमेशचंद जाति छीपा, उम्र 67 वर्ष, धंधा गृहकार्य निवासी मेघानी नगर ब्लाक, नंबर 113 / 2708 रामेश्वर पुलिस चौकी के पीछे अहमदाबाद, जिला अहमदाबाद गुजरात।

नीताबाई पति शांतिलाल पति श्यामलाल फौत वारिसानः-

3. टीनाबाई पिता श्यामलाल जाति छीपा उम्र 30 वर्ष धंधा नर्स निवासी शासकीय अथानिया हास्पिटल के पास जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान।

सावित्रीबाई पिता बुद्धिचंद पति रिषिकुमार फौत वारिसानः-

4. अलकाबाई पिता रिषिकुमार उम्र 45 वर्ष निवासी 104 गांधीनगर, अहमदाबाद जिला अहमदाबाद गुजरात। 5. पप्पु पिता रिषिकुमार जाति छीपा उम्र 42 वर्ष, धंधा प्रायवेट नौकरी निवासी हाथीपोल के अंदर उदयपुर जिला उदयपुर राजस्थान।

सत्यनारायण पिता बुद्धिचंद फौत वारिसानः-

6. अजय पिता सत्यनारायण जाति छीपा उम्र 35 वर्ष, धंधा प्रायवेट नौकरी निवासी आवास नगर शीतलामाता मंदिर के पास देवास जिला देवास म.प्र.

मोहनलाल पिता बुद्धिचंद फौत वारिसानः-

7. ललित पिता मोहनलाल जाति छीपा उम्र 40 वर्ष, धंधा साधु निवासी टाण्डा, तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र.। 8. दीपिका पिता मोहनलाल पति विक्की पवार उम्र 35 वर्ष, निवासी मेन रोड़ बड़वाह, तहसील बडवाह जिला खरगोन।

मीनाबाई पिता बुद्धिचंद पति सुनिल फौत वारिसानः-

9. हर्षा पिता सुनिल पति विक्की जाति छीपा उम्र 35 वर्ष, निवासी विदुरनगर इंदौर, जिला इंदौर। 10. वर्षा पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 33 वर्ष, 11. नेहा पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 31 वर्ष, 12. कृतिका पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 28 वर्ष, 13. आर्यन पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 22 वर्ष, सभी निवासी ग्राम कानवन तहसील बदनावर जिला धार म.प्र.।

इस न्यायालय मे वादीगण उषाबाई पिता स्व. बुद्धिचंद पति स्व. सोहनलाल जाति छीपा, उम्र 60 वर्ष धंधा कुछ नही, निवासी ग्राम गिरी तहसील रायपुर, जिला ब्यावर राजस्थान ने रेगुलर सिविल सूट ए कमांक 40 / 2023 का स्वत्व घोषणा, विभाजन, आधिपत्य प्राप्ति, स्थायी निषेधाज्ञा एवं अंतर्वतीय लाभ हेतु पेश किया है। प्रकरण मे यदि उक्त सायल के द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त के संबंध में

प्रतिवादीगण

14. गायत्रीबाई पति बुद्धिचंद पति रमेशचंद जाति छीपा, उम्र 67 वर्ष, धंधा गृहकार्य निवासी मेघानी नगर ब्लाक, नंबर 113 / 2708 रामेश्वर पुलिस चौकी के पीछे अहमदाबाद, जिला **अहमदाबाद गुजरात, नीताबाई पति शांतिलाल पति श्यामलाल फौत वारिसानः-**

15. टीनाबाई पिता श्यामलाल जाति छीपा उम्र 30 वर्ष धंधा नर्स निवासी शासकीय अथानिया हास्पिटल के पास जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान।

सावित्रीबाई पिता बुद्धिचंद पति रिषिकुमार फौत वारिसानः-

16. अलकाबाई पिता रिषिकुमार उम्र 45 वर्ष निवासी 104 गांधीनगर, अहमदाबाद जिला अहमदाबाद गुजरात। 17. पप्पु पिता रिषिकुमार जाति छीपा उम्र 42 वर्ष, धंधा प्रायवेट नौकरी निवासी हाथीपोल के अंदर उदयपुर जिला उदयपुर राजस्थान।

सत्यनारायण पिता बुद्धिचंद फौत वारिसानः-

18. अजय पिता सत्यनारायण जाति छीपा उम्र 35 वर्ष, धंधा प्रायवेट नौकरी निवासी आवास नगर शीतलामाता मंदिर के पास देवास जिला देवास म.प्र.।

मोहनलाल पिता बुद्धिचंद फौत वारिसानः-

19. ललित पिता मोहनलाल जाति छीपा उम्र 40 वर्ष, धंधा साधु निवासी टाण्डा, तहसील कुक्षी जिला धार म.प्र.। 20. दीपिका पिता मोहनलाल पति विक्की पवार उम्र 35 वर्ष, निवासी मेन रोड़ बड़वाह, तहसील बडवाह जिला खरगोन

मीनाबाई पिता बुद्धिचंद पति सुनिल फौत वारिसानः-

21. हर्षा पिता सुनिल पति विक्की जाति छीपा उम्र 35 वर्ष, निवासी विदुरनगर इंदौर, जिला इंदौर। 22. वर्षा पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 33 वर्ष, 23. नेहा पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 31 वर्ष, 24. कृतिका पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 28 वर्ष,

25. आर्यन पिता सुनिल चौहान जाति छीपा उम्र 22 वर्ष। सभी निवासी ग्राम कानवन तहसील बदनावर जिला धार म.प्र. को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से, जिसे प्रकरण की समस्त माहिती हो अथवा न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे सके, के माध्यम से पेशी दिनांक 26.09.2024 को दिन के 11:00 बजे न्यायालय कुक्षी मे उपस्थित होकर प्रकरण में भाग ले यदि उक्त दिनांक को आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके प्रकरण का निराकरण किया जावेंगा। यदि उक्त दिनांक 26.09.2024 को किसी कारणवश सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है अथवा पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर हो अथवा कार्य स्थगित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस पर प्रकरण का श्रवण किया जावेगा। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। हमारे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.08.2024 को जारी किया गया।

(अर्चना मर्सकोले)
प्रथम व्यवहार ज्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **15-10-2024** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **15-10-2024** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **14-10-2024** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, दूसरा तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001** पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार
1	TCHHL02840 00100006529	श्री पवन वाधवानी, श्रीमती पूनम, श्री नरेश साडी सेन्टर	रु. 14,31,663/- (रुपये चौदह लाख ईकत्तीस हजार छः सौ त्रेसठ मात्र) 06-05-2023	रु. 14,66,400/- (रुपये चौदह लाख छाछट हजार चार सौ मात्र मात्र)	रु. 1,46,640/- (रुपये एक लाख छियालिस हजार छः सौ चालिस मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: उक्त समस्त संपत्ति अर्थात् फ्लेट नं. 301, तृतीय तल, शिव वन्दना अपार्टमेन्ट , प्लाट नं. 40 एवं 41, सिल्वर पैलेस कॉलोनी, इन्दौर स्थित है जिसका निर्मित क्षेत्रफल 564 वर्गफीट है।**चर्तुसीमाएं:-** पूर्व :- प्लाट नं. 39, पश्चिम:- कॉमन पैसेज पश्चात फ्लेट नं. 305, उत्तर:- फ्लेट नं. 302, दक्षिण:- अन्य प्लाट

नीलामी में, सर्वसामान्य जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली (ओं) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एतद् द्वारा कर्जदार (रों)/ सह-कजदार (रों) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से **30 दिनों** के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है, ऐसा न होने पर अचल संपत्तियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। यदि उपरोक्त बकाया राशि, ब्याज व लागतें (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी ' के पास जमा करा दी जाती है या उसे प्रमाण देकर यह संतुष्ट कराया जाता है कि ऐसे प्रत्याभूत ऋण, ब्याज व लागत को चुकता कर दिया गया है, तो बिक्री रोक दी जायेगी।

इस बिक्री में संलग्न कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से न तो बोली कर सकता है और न ही उक्त बेची गई संपत्ति में कोई हित अधिग्रहीत कर सकता है या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता है। बिक्री बताई गई शर्तों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के तहत होगी।

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 15-10-2024 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें: 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/-** (दस हजार मात्र) 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **08-10-2024** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. किसी अन्य विवरण या ई-नीलामी पर .नलाइन प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, **मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शनटाइगर), पता: बी-705, वॉल स्टीट II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380 006 गुजरात (भारत) से संपर्क कर सकते हैं। मोबाईल: 8000023297 / 9173528727 एवं 9265562818/ 9265562821/079-6813 6842/6869 ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net एवं ramprasad@auctiontiger.net या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाईल नंबर 8588983696. कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **http://surl.li/umoklo** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल/एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 12-09-2024

ह/- (प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **28-09-2024** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28-09-2024** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **27-09-2024** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, दूसरा तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001** पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार
1	TCHHL02 84000100 084367 & TCHHF02 84000100 084700 & TCHHF06 43000100 085332	श्री महेश कुमावत श्रीमती निशा किरण बाई	**Rs.11,59,685/-** (रूपये ग्यारह लाख उनसांठ हजार छ: सौ पिच्यासी मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0643000100085332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **Rs.27,86,654/-** (रूपये सत्ताईस लाख छियासी हजार छ: सौ चौपन मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100084700 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **Rs. 52,30,828/-** (रूपये बावन लाख तीस हजार आठ सौ अठाईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100084367 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है अर्थात कुल बकाया **Rs.91,77,167/-** (रूपये इंक्यान्वे लाख सतोत्तर हजार एक सौ सड़सठ मात्र) एवं 10-11-2022	**Rs. 40,00,000/-** (रुपये चालिस लाख मात्र)	**Rs. 4,00,000/-** (रूपये चार लाख मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: आवासीय म्युनिसिपल मकान नं. 4/151 पुराना, नया-147 के समस्त भाग एवं अंश, सिलावटो का वास, रतलाम, म.प्र. 457001, कुल क्षेत्रफल 1043.34 वर्गफीट, **चर्तुसीमाएं:-** पूर्व :- श्रीमती विष्णु कांता पति भेरुलाल जी का मकान, पश्चिम:- श्री मुकेश कुमार जी का मकान, उत्तर:- गोर्धन जी का मकान, दक्षिण:- सड़क

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार
2	9855866	श्री अतुल शर्मा पिता श्री सुरेश कुमार एवं श्रीमती कमला शर्मा पति श्री सुरेश शर्मा	रु.9,38,453/- (रु. नौ लाख अड़तीस हजार चार सौ तिरेपन मात्र) एवं **20-12-2022**	**रु.8,80,000/-** (रु. आठ लाख अस्सी हजार मात्र)	**रु. 88,000/-** (रु. अठ्यासी हजार मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण : प्लॉट नं. एम-7, श्री कृष्णा पैराडाइज गांव राऊ तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453331 स्थित **सक्षम-1** में प्रथम मंजिल का फ्लेट नं. 108, के समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुसीमाएं:-** पूर्व : सीढ़ियां फिर फ्लेट नं. 106, पश्चिम: फ्लेट नं. 110, उत्तर: गलियारा फिर फ्लेट नं. 107, दक्षिण: प्लॉट नं. एम-8

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार
3	9443738	विकास जायसवाल श्रीमती राखी जायसवाल	Rs. 8,26,120/- (रुपये आठ लाख छब्बीस हजार एक सौ बीस मात्र) एवं 19.10.2021	Rs. 7,90,000/- (रुपये सात लाख नब्बे हजार मात्र)	Rs. 79,000/- (रुपये उन्नयसी हजार मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण:- उक्त अचल संपत्ति के सभी भाग एवं अंश, एक आवासीय फ्लेट/यूनिट नंबर 301 तीसरी मंजिल, जिसका सुपर निर्मित क्षेत्र लगभग 604.00 वर्ग फीट यानी 56.13 वर्ग मीटर विकसित आवासीय बहुमंजिला इमारत, जिसे 'सिद्धि विनायक रेसीडेंसी' के नाम से जाना जाता है, परिवर्तित भूमि रेवेन्यू सर्वे नंबर 159/3/3, ग्राम : सांतेर किशनगंज, तहसील: महू जिला: इंदौर मध्य प्रदेश स्थित है। **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: यूनिट/फ्लैट नं.302, पश्चिम: सीढ़ियाँ एवं पैसेज, उत्तर: खुली भूमि, दक्षिण: कॉरीडोर.

नोट:- टीसीएचएफएल के खिलाफ ऋणी द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत (सीसी/157/2023) डीसीडीआरसी II, इंदौर के समक्ष लंबित है, उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

बोलीदाताओं को बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। नीलामी मुकदमेबाजी के नतीजे के अधीन होगी।

नीलामी में, सर्वसामान्य जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली (ओं) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एतद् द्वारा कर्जदार (रों)/ सह-कजदार (रों) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से **15 दिनों** के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है, ऐसा न होने पर अचल संपत्तियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। यदि उपरोक्त बकाया राशि, ब्याज व लागतें (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी ' के पास जमा करा दी जाती है या उसे प्रमाण देकर यह संतुष्ट कराया जाता है कि ऐसे प्रत्याभूत ऋण, ब्याज व लागत को चुकता कर दिया जाता है, तो बिक्री रोक दी जायेगी।

इस बिक्री में संलग्न कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से न तो बोली कर सकता है और न ही उक्त बेची गई संपत्ति में कोई हित अधिग्रहीत कर सकता है या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता है। बिक्री बताई गई शर्तों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के तहत होगी।

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 28-09-2024 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **18-09-2024** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 इनके समन्वयक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कर्नाटक एवं गोवा- मोबाइल नं. 8142000809, srinivas@bankauctions.in, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश- मोबाइल नं. 8142000064, prakash@bankauctions.in, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वोत्तर राज्य- मोबाइल नं. 814200030, pradhan@bankauctions.in तमिलनाडु एव केरल मोबाइल नं. 8142000735, dinesh@bankauctions.in दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और उत्तरी राज्य मोबाइल नं. 9515160064, prakash@bankauctions.in, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश मोबाइल. नं. 8142000725, Arijit@bankauctions.in, ईमेल आईडी : info@bankauctions.in अथवा मनीष बंसल, ई-मेल आईडी: Manish.Bansal@tatacapital.com, प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सऐप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **http://surl.li/ibziyw** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 12-09-2024

ह/- (प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.